

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लि०, जयपुर


यू. ओ. नोट

विषय :- बीएमसी के लिए आवेदन हेतु ।

जयपुर दुग्ध संघ कार्यालय से जारी परिपत्र क्रमांक 35208-21 दिनांक 09.03.2024 दुग्ध समिति पर बीएमसी लगवाये जाने के मापदण्डों हेतु परिपत्र जारी किया गया था। आरसीडीएफ लि. जयपुर के पत्र क्रमांक 54516-17 दिनांक 13.03.2024 की अनुपालना करने हेतु उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए दुग्ध समिति पर बीएमसी लगवाये जाने हेतु मापदण्डों में निम्नानुसार बदलाव/संशोधन किया जाता है।

| पात्रता | आरसीडीएफ बीएमसी आवंटन नीति के मापदण्ड |
|--|---|
| बीएमसी क्षमता का 50 प्रतिशत दूध होना आवश्यक। (1 मार्च, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक औसत) | 1 केएल के लिए - 500 लीटर 2 केएल के लिए - 1000 लीटर 5 केएल के लिए - 2500 लीटर |
| दो बी.एम.सी. के मध्य दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए | 05 किलोमीटर |
| समिति के पास बी.एम.सी. क्रय हेतु फण्ड की उपलब्धता | बचत खाते में न्यूनतम रु 5.00 लाख होना आवश्यक। |
| समिति भवन | जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का स्वयं का भवन हो उन्हें बीएमसी आवंटन में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के स्वयं के नाम से भवन नहीं होने पर किराये पर लिये जाने वाले उचित भवन का न्यूनतम 5 से 7 साल की लीज पर भवन प्राप्त कर, समिति को बीएमसी हेतु पात्र माना जावेगा। |

उपर्युक्त संशोधित सूचना जयपुर दुग्ध संघ की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।


प्रभारी (एफओपी)

क्रमांक : एफ(1)/जजिदुससंलि/एफओपी/23-24/ 36403-04 दिनांक : 19/3/24

प्रभारी (आईटी/कम्प्युटर) दुग्ध संघ, जयपुर।